प्रार्थीगण :—

1. पृथ्वीराज पुत्र श्री भूराराम
2. नारायणराम पुत्र श्री भूराराम
3. सुखदेव पुत्र श्री भूराराम
4. मूलाराम पुत्र श्री भूराराम
5. चावण्डा देवी पत्नी श्री भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम गागाडी तहसील तिवरी जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. मोहनराम उर्फ मॉगीलाल पुत्र श्री आईदानराम जाति जाट निवासी ग्रम गागाडी तहसील तिवरी जिला जोधपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार तिवरी जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी

निर्णय

दिनॉक 5/1/21

सहायक कलेक्टर, [illegible]

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम गागाडी के खसरा सख्या 151 रकबा 64 बीघा 15 बिश्वा भूमि प्रार्थीगण के पिता व अन्य सहखातेदारो की खातेदारी की भूमि आयी हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता भूराराम पुत्र श्री अलसाराम का नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। लेकिन प्रार्थीगण के पिता का देहान्त दिनॉक 08.11.2011 को हो चुका है लेकिन प्रार्थीगण के पिता का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज नही किया गया इसलिए प्रार्थीगण के पिता का नाम यथावत तरीके से दर्ज है। भूराराम के विधिक उतराधिकारी प्रार्थीगण ही है इनके अलावा अन्य कोई भूराराम के विधिक उतराधिकारी नही है उक्त भूमि मे प्रार्थीगण का 1/5 हिस्सा है तथा अलग से खरीदसुदा भूमि 05 बीघा 10 बिश्वा है इस प्रकार से प्रार्थीगण के सम्पूर्ण खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि 18 बीघा 10 बिश्वा है। उक्त खसरा की भूमि को प्रार्थना पत्र के आगामी पदो में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगां चालू जमाबन्दी की प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र पेश की उक्त खसरान की भूमि में अप्रार्थीगण सख्या 01 न तो खातेदार है तथा न ही अप्रार्थीगण सख्या 01 का कब्जा काश्त ही है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि को हासलू करने के लिए अप्रार्थीगण सख्या 01 को काश्त हेतु उनालु फसल लेने के लिए रखा तत्पश्चात प्रार्थीगण ने पडौस की टयूबवैल से पानी लेकर हासलू काश्त हेतु अप्रार्थीगण सख्या 01 को रखा। तथा प्रार्थीगण की तरफ से अप्रार्थीगण सख्या 01 इस वर्ष रवी की फसल व खरीब की फसल काश्त पर लेकर तय अनुसार हिस्सा प्रार्थीगण को देता है प्रार्थीगण ने अलग से बने हुए झूपे अप्रार्थीगण सख्या 01 को अस्थायी रहवास हेतु सुपुर्द किये। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सख्या 01 के बिच अच्छे सम्बध होने के कारण किसी प्रकार का कोई ईकरारनामा निस्पादित नही करवाया गया था। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण सख्या 01 को काश्त कर हासल देने हेतु ही कब्जा सुपुर्द किया गया है। लेकिन हाल ही में दिनॉक 25.12.2017 को अप्रार्थीगण सख्या 01 की नियत में खोट आ गयी तथा अप्रार्थीगण सख्या 01 ने प्रार्थीगण की खातदोरी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में नाजायज तरीके से कब्जा करने की नियत से निर्माण सामग्री लाकर डाल दी जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कहा कि यह निर्माण सामग्री डालने की हमारे द्वारा कोई इजाजत नही दी गयी थी । लेकिन बावजूद इसके निर्माण सामग्री क्यो डाली है तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को आस्वासन दिया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वादग्रस्त भूमि से 01 किलो मीटर दूर है तथा अप्रार्थीगण उक्त निर्माण सामग्री से अपनी खातदोरी भूमि जो वादग्रस्त भूमि से दूर है में निर्माण कार्य करेगा । लेकिन हाल ही में दिनॉक 04.01.2018 को उक्त निर्माण सामग्री से अप्रार्थीगण सख्या 01 ने प्रार्थीगण की खातदोरी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में निवे खोदनी शुरू की तो प्रार्थीगण ने पुन अप्रार्थीगण सख्या 01 को मना किया लेकिन अप्रार्थीगण सख्या 01 ने प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण सख्या 01 नाजायज तरीके से निर्माण कार्य कर कब्जा करेगा । लेकिन इस प्रकार से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण सख्या 01 को नाजायज तरीके से कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए वादीगण, अप्रार्थीगण सख्या 01 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए यह स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण के हमरा पेश है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण सख्या 01 का कोई सरोकार नही है। इसलिए अप्रार्थीगण सख्या 01 ने विधिविरूद्व तरीके से निर्माण कार्य कर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में उपरोक्तानुसार कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो में नही की जा सकेगी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातदोरी व कब्जा काश्त सुदा भूमि होने से उपरोक्तानुसार हासलु काश्त करने

Scanned with CamScanner

हेतु ही अप्रार्थीगण सख्या 01 को कब्जा सुपुर्द किया गया था लेकिन अप्रार्थीगण सख्या 01 नाजायज तरीके से कब्जा करने की नियत से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जिससे प्रथम दृष्टया सदृढ मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है । अन्त में प्रार्थीगण की ओर ईस्तदुआ चाही कि अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा वादग्रस्त भूमि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम गागाडी के खसर सख्या 151 रकबा 64 बीघ 15 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलदाजी नही करे तथा न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य ही करे।

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । जिस पर अप्राथीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया ।जिसमें अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज करने का ईस्तदुआ चाही।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि न तो अप्रार्थीगण की खातदेारी की भूमि है तथा न ही अप्रार्थीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना कब्जा होने सम्बधी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज ही पेश किया है। चूकि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के अनुसार अप्रार्थीगण को केवल मात्र ईजारा पर हासलू कृषि कार्य हेतु ही कब्जा सुपुर्द किया गया था जिसमें अप्रार्थीगण को निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तग्रत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का का स्वीकार किया जाता है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस आशय की जारी की जाती है। तहसील तिवरी के राजस्व ग्रम गागाडी के खसरा सख्या 151 रकबा 64 बीघा 15 बिस्वा भूमि में किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करे तथा न ही किसी अन्य से करावे। मौके की यथाथिति ताफैसला दावा बनाये रखे।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 5/1/21 को हस्ताक्षरित करके सरेईजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Scanned with CamScanner